Website Link: prgi.gov.in

No.TS/4/2020-Title (RNI)

Office of Registrar of Newspapers for India
(M/o Information & Broadcasting)
9th Floor, Soochna Bhawan, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi-110003.

Dated 08/09/2020

NOTICE TO PUBLISHERS

Subject: Title Verification Guidelines reg.

The Title verification guidelines as amended on 08.09.2020 by the competent authority is attached. Following may kindly be noted:

(i) The amended guidelines will be effective from today (i.e. 08.09.2020), except for (ii) below

(ii) The *Clause 16(a)* of the guidelines shall be effective from 01st January 2021 or, if notified otherwise

(iii) The guidelines are now made available in Urdu, Gujarati, Marathi, Bengali, Odia, Assamese, Kannada, Telugu, Malayalam and Tamil languages, in addition to Hindi and English.

(Joyce Philip)
Asst. Press Registrar

No. TS/4/2020-Title(RNI)

भारत सरकार

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय)

सूचना भवन,9 वॉ तल, सी० जी० ओ० कॉम्प्लेक्स,

लोदी मार्ग, नई दिल्ली-110003

******

दिनांक: 8th September, 2020

समाचार पत्रों के लिए शीर्षकों के सत्यापन से संबंधित दिशा निर्देश

(1) प्रेस एवं पुस्तक पंजीयन अधिनियम, 1867 समाचार पत्रों का पंजीयन करता है। समाचार पत्रों को 'मुद्रित आवधिक कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें सार्वजनिक समाचार अथवा सार्वजनिक समाचारों की समीक्षा शामिल है'।

(2) समाचार पत्र के प्रकाशन के लिए इच्छुक व्यक्ति को निर्धारित प्राधिकारियों के समक्ष समाचार पत्र के लिए प्रस्तावित वैकल्पिक शीर्षकों के साथ घोषणा पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। निर्धारित प्राधिकारी उक्त घोषणा पत्र का सत्यापन प्रेस पंजीयक से सुनिश्चित करने के बाद प्रमाणित करेगा कि प्रस्तावित शीर्षक :

1. राज्य की किसी भी भाषा में वैसा या उससे मिलता-जुलता नहीं है।

अथवा

2. उसी भाषा में पूरे भारत में वैसा या उससे मिलता-जुलता नहीं है।

(3) शीर्षक सत्यापन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व आवेदक को आर एन आई वेबसाइट पर उपलब्ध Verified Titles/ Title Search मीनू पर सत्यापित हो चुके शीर्षकों की जांच भली-भांति कर लेनी चाहिए तथा सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रस्तावित शीर्षक आर एन आई द्वारा पहले से ही सत्यापित शीर्षक जैसा या उससे मिलता-जुलता नहीं है। आर एन आई की वेबसाइट पर दिये गये शीर्षक वही हैं जिन्हें पहले से सत्यापित किया जा चुका है, इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि जो सत्यापित शीर्षक सूची में नहीं हैं, वे अवश्य ही उपलब्ध हैं।

शीर्षक को स्वीकार अथवा निरस्त करने का अंतिम निर्णय प्रेस पंजीयक का होता है।

(4) समाचारपत्रों/ आवधिकों के शीर्षक के लिए आवेदन केवल ऑन लाइन ही किया जाता है। आवेदन फार्म (संलग्न फार्मेट में) आर एन आई की वेबसाइट अर्थात http//www.rni.nic पर उपलब्ध है। इसका प्रिंटआउट निर्धारित प्राधिकारियों (जिला मैजिस्ट्रेट/ संबंधित जिले के कार्यकारी मैजिस्ट्रेट) के माध्यम से आर एन आई को अग्रेषित करना चाहिए।

(5) आवेदन अग्रसारित करने वाले निर्धारित प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर शीर्षक आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट एवं सुपाठ्य होना आवश्यक है।

(6) जिला मैजिस्ट्रेट/ निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अग्रेषित शीर्षक आवेदन के केवल मूल प्रति पर ही आर एन आई में कार्रवाई की जाएगी। फोटोकॉपी स्वीकार्य नहीं होगी। शीर्षक आवेदन में किसी प्रकार की छेड़छाड़, या श्वेत फ्लूड का प्रयोग या निरस्तीकरण अथवा ओवर राइटिंग की अनुमति नहीं होगी।

(7) आवेदन में एक से अधिक भाषा का उल्लेख होने के मामले में यह माना जाएगा कि समाचार पत्र द्विभाषी/ बहुभाषी है, तद्नुसार इसका सत्यापन किया जाएगा।

(8) समाचार पत्र अथवा प्रकाशन एक भाषा में हो सकता है, यह द्विभाषी या बहुभाषी भी हो सकता है। यदि प्रकाशन द्विभाषी अथवा बहुभाषी है तो शीर्षक में सत्यापित सभी भाषाओं में समाचार/ लेख होना चाहिए। यदि विभिन्न भाषाओं में अलग-अलग प्रकाशन किया जाना है तो प्रत्येक प्रकाशन के लिए अलग-अलग आवेदन किया जाना चाहिए।

(9) यदि उसी राज्य के किसी अन्य जिले से उसी भाषा में मौजूदा प्रकाशन का नया संस्करण निकाला जाना है, तो अलग से शीर्षक का सत्यापन कराने की आवश्यकता नहीं है। प्रकाशक सीधे घोषणापत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज आर एन आई में पंजीयन संख्या तथा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रस्तुत कर सकता है लेकिन यदि प्रस्तावित नया संस्करण किसी अन्य राज्य या भिन्न भाषा (उसी राज्य अथवा अन्य राज्य) में है तो पहले शीर्षक-सत्यापन कराना आवश्यक है।

(10) आवेदक यदि किसी शीर्षक का किसी विशेष भाषा, राज्य एवं आवधिकता के लिए स्वामी है तो उसे किसी अन्य भाषा, राज्य एवं आवधिकता के लिए शीर्षक पर दावे का अधिकार नहीं होगा।

(11) पहले से स्वामित्व-प्राप्त शीर्षकों का अन्य राज्य, भाषा एवं आवधिकता के लिए सत्यापन उनकी उपलब्धता तथा निर्धारित दिशा-निर्देश के अनुसार किया जाएगा।

(12) ऐसे आवेदक जिनका नाम आर एन आई रिकार्डों में पंजीकृत प्रकाशनों की सूची में पहले से ही दर्ज है, नए शीर्षक के लिए आवेदन करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि उनके पंजीकृत प्रकाशनों की नवीनतम वार्षिक विवरणियां आर एन आई कार्यालय में जमा करा दी गई हैं।

(13) शीर्षक-सत्यापन के आवेदन किसी भी रूप में अपूर्ण होने पर निरस्त कर दिये जाएंगे।

(14) प्रेस पंजीयक द्वारा शीर्षक सत्यापन के लिए आवेदनों पर की गई विस्तृत प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है :-

क. किसी राज्य की किसी भी भाषा में वही या उससे मिलता-जुलता शीर्षक या संपूर्ण भारत में उसी भाषा में वही या उससे मिलते-जुलते शीर्षक को सत्यापित नहीं किया जाएगा।

ख. विदेशी समाचार पत्रों/ पत्रिकाओं जैसा या उससे मिलता-जुलता शीर्षक सत्यापित नहीं किया जाएगा जब तक कि विदेशी शीर्षक के स्वामी से वैध लाइसेंस करार प्रस्तुत नहीं किया जाता।

ग. आवेदक नए शीर्षक के लिए आवेदन केवल उस स्थिति में कर सकता है जब उसने पूर्व में आबंटित शीर्षक का पंजीयन करा लिया हो।

घ. आवेदक एक साथ तीन से अधिक शीर्षक आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकता है। यदि आवेदक से तीन से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो किन्हीं तीन आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा और शेष आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा।

ङ. शीर्षक निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर पहले आओ पहले पाओ आधार पर सत्यापित किया जाएगा :-

(i) विदेशी शीर्षक के मामले में जहां आवेदक सूचना और प्रसारण मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है।

(ii) न्यायालय या विधिक प्राधिकारी के निर्देशों के मामलों में जिसका अनुपालन आवश्यक है तथा जिनके बारे में यह निर्णय लिया गया है कि दिये गये निर्देश/ आदेश के विरूद्ध अपील नहीं की जाएगी।

(iii) प्रेस पंजीयक के अनुमोदन से जनहित से जुड़े किसी भी अन्य मामले में।

च. आवेदक द्वारा फार्म भरते समय वर्तनी में की गई त्रुटियों के कारण निरस्त आवेदनों के लिए कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

छ. आर एन आई प्रेस एवं पुस्तक पंजीयन अधिकनियम, 1867 की धारा 1 के अंतर्गत केवल समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं का पंजीयन करता है। निम्नलिखित वर्ग के आवेदनों पर शीर्षक सत्यापन के लिए विचार नहीं किया जाएगा :-

(i) समाचार एजेंसियां

(ii) फीचर एजेंसियां

(iii) समाचार वेबसाइट्स

(iv) समाचार चैनल

(v) प्रकाशनों के इलैक्ट्रानिक संस्करण जिसमें शीर्षक विकल्प के साथ ऐसे शब्द जोड़ दिये जाएं जैसे डॉट काम, डॉट इन, ई-, ब्लॉग, पोर्टल, फेसबुक, ट्वीटर, आर्कुट, लिंकेडिन, यूट्यूब, याहु, गूगल, विकीपीडिया, विकीलिक्स आदि।

(15) प्रस्तावित समाचार पत्र के लिए शीर्षक के निम्नलिखित वर्ग पर विचार नहीं किया जाएगा :

(i) ऐसे शीर्षक जो किसी सरकारी विभाग के नाम, सरकारी संस्थानों, विदेशी सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जैसे यू एन, डब्ल्यू एच ओ, आई एल ओ आदि जिससे भ्रांति फैलने का डर हो।

(ii) केन्द्र/ राज्य सरकारों या उसके संस्थानों अथवा स्थानीय निकाय की जन कल्याण योजनाओं से जुड़ाव बताने वाले शीर्षक।

(iii) ऐसे शीर्षक जिनमें प्रयोग किये गये शब्द जैसे ऐड/ विज्ञापन, वर्गीकृत (क्लासिफाइड), संविदा, अचल संपदा (रियल एस्टेट), कैलेंडर, पंचांग, वैवाहिक (मैट्रिमोनियल), येलो पेजेज/ पेज (सामान्यत: व्हाइट, पिंक आदि के साथ जुड़ा हुआ), गाइड, डायरी, जिस्ट, फैक्ट शीट, बुलेटिन, पैम्फ्लैट्स, ब्रोशर, डायरेक्ट्री आदि क्योंकि ऐसे प्रकाशनों में समाचार/ विचार, लेख आदि शामिल नहीं होते हैं।

(iv) ऐसे शीर्षक जिनके साथ संक्षिप्त नाम, परिवर्णी शब्द जैसे बी टू बी, ए टू जेड आदि जुड़े हों।

(v) ऐसे शीर्षक जो किसी प्रकार के प्रतीक व चिन्ह जिसमें पिक्टोग्राफ, वीडियोग्राम, हॉलमार्क, लोगो, मोनोग्राम, संक्षिप्तीकरण, फोनोग्राम, इमोजिस आदि शामिल हैं, को शीर्षक में प्रयोग में सत्यापित नहीं किया जाएगा।

(vi) ऐसे शीर्षक जिनमें नॉन अल्फा न्युमेरिक कैरेक्टर्स जैसे चित्र एवं चिन्ह शामिल हों।

(vii) ऐसे शीर्षक जो प्रथम दृष्टया भद्दे व अर्थहीन हों, को सत्यापित नहीं किया जाएगा। किसी प्रकार के संख्यात्मक एवं गणितीय चिन्ह जैसे + * आदि का उपयोग शीर्षक में नहीं होना चाहिए। ऐसे शीर्षक जो दो शब्दों को मिलाकर अर्थहीन हों जैसे साप्ताहिक वीकली, संध्या ईवनिंग, डेली दैनिक समाचार का सत्यापन नहीं किया जाएगा।

(viii) ऐसे शीर्षक जिनका अर्थ धर्म से जुड़ा हो, शीर्षक जो अश्लील तथा सामाजिक रूप से आपत्तिजनक हों, को सत्यापित नहीं किया जाएगा।

(ix) ऐसे शीर्षक जिनके नकारात्मक अर्थ हों अथवा जिसके शब्दों का नकारात्मक प्रयोग जैसे अपराध, भ्रष्टाचार के साथ हो, को सत्यापित नहीं किया जाएगा।

(x) ऐसे एम्पलॉयमेंट/ रोजगार/ कैरियर/ जॉब/ नौकरी आदि शब्दों का प्रयोग करते हुए केवल संस्थान/ सोसाइटी/ कम्पनी/ ट्रस्ट आदि को शीर्षक सत्यापित किया जाएगा। एकल आवेदक को ऐसे शीर्षक का आबंटन नहीं किया जाएगा।

(xi) ऐम्बलम और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम 1950 का उल्लंघन करने वाले शीर्षक।

(xii) राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय सिद्धान्त के जैसा या उससे मिलता-जुलता शीर्षक या ऐसे भ्रामक प्रभाव देने वाला शीर्षक मानो वह केन्द्र/ राज्य सरकार/ स्थानीय निकाय से संबद्ध हो, को सत्यापित नहीं किया जाएगा।

(xiii) संबंधित विभागों को छोड़कर देश की नियामक/ प्रवर्तन एजेंसियों जैसे पुलिस, ब्यूरो, जांच-पड़ताल विभाग, सतर्कता, सी आई डी, सी बी आई आदि के नाम का शीर्षक।

(xiv) देश के वर्तमान/ पूर्व राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री, राज्यों के वर्तमान राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री जहां से प्रकाशन पंजीकृत किया गया है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक एवं मुख्य लेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम से शीर्षक।

(xv) राष्ट्रीय नेताओं के नाम, प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं के नामों से मिलते-जुलते नाम, केन्द्र एवं राज्य सरकारों में कार्यरत कार्यालय प्रमुखों के नाम के शीर्षक सत्यापित नहीं किए जाएंगे, तथापि संबंधित संस्थानों ने यदि आवेदन किया तो राष्ट्रीय एवं राज्यों के जाने माने राजनीतिक दलों के नामों पर विचार किया जा सकता है।

(xvi) वर्तमान में पंजीकृत समाचार पत्रों के शीर्षकों को जोड़कर, दो या उससे अधिक वर्तमान शीर्षकों को जोड़कर बना शीर्षक तथा वर्तमान के शीर्षक का एक भाग जो नया शीर्षक नहीं बनता तथा मामूली परिवर्तन के साथ बने नये शीर्षक को सत्यापित नहीं किया जाएगा। वर्तमान शीर्षक के बीच एक शब्द जोड़कर बने शीर्षक को मिलता-जुलता माना जाएगा जब तक कि उसके अर्थ में परिवर्तन न हो जाए।

(xvii) वर्तमान शीर्षक के उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए, चाहे वह उसी या भिन्न क्रम में हों और उसकी भाषा, प्रकाशन का स्थान तथा आवधिकता भिन्न हो।

(xviii) वर्तमान शीर्षक पूर्व या बाद में नगर, राज्य, आवधिकता, भाषा, पूर्वसर्ग/ विशेषण तथा (ए, ऐन, दी) जैसे शब्दों को जोड़ कर या हटा कर बने शीर्षक को सत्यापित नहीं किया जाएगा। उदाहरणार्थ दि, टाइम्स, डेली, दैनिक, साप्ताहिक, वी/वार्ता, आज, टुडे, एक्सप्रेस, न्यूज, खबर, समाचार, बुलेटिन, डायरी, इंडिया, नेशनल, राष्ट्रीय आदि।

(xix) विद्यमान शीर्षकों से प्रस्तावित प्रकाशनों की आवधिकता में जोड़ने या घटाने से बने शीर्षक को सत्यापित नहीं किया जाएगा।

(xx) ऐसे प्रकाशनों के शीर्षक जिनका उद्देश्य प्रतियोगात्मक परीक्षा अथवा पाठ्य सामग्री/ कोचिंग सामग्री हो को सत्यापित नहीं किया जाएगा।

(xxi) ध्वन्यात्मक रूप से मिलता-जुलता वर्तमान शीर्षक, चाहे प्रस्तावित शीर्षक की वर्तनी में भिन्नता भी हो, को सत्यापित नहीं किया जाएगा।

16. आवेदकों के लिए विविध निर्देश/ दिशानिर्देश:

(क) प्रकाशक/ स्वामी को अपना शीर्षक भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय (आर एन आई) में शीर्षक सत्यापन की तारीख से एक वर्ष के भीतर पंजीकृत कराना आवश्यक है। यदि एक वर्ष के भीतर पंजीकृत शीर्षक का पंजीयन नहीं कराया गया है तो उसे डी-ब्लाक कर दिया जाएगा और वह अन्य आवेदकों के लिए उपलब्ध हो जाएगा।

(ख) शीर्षक सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान यदि विसंगति पत्र (डी एल) जारी किया गया है तो आवेदक को ऐसे पत्रों के उत्तर 60 दिनों के भीतर देना आवश्यक है। यदि निर्धारित समय के भीतर उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसे मामले में जिला मैजिस्ट्रेट से अग्रसारित नया आवेदन पुन: जमा करना होगा।

(ग) विसंगति पत्र आर एन आई की वेबसाइट पर उपलब्ध रहता है। विसंगति पत्र के प्राप्त न होने के कारण उत्तर देने में देरी पर विचार नहीं किया जाएगा।

(घ) आवेदक पहले से सत्यापित हो चुके शीर्षक के डी-ब्लाक हो जाने के बाद उस पर कोई दावा नहीं कर सकेगा। डी-ब्लाक हो चुके शीर्षकों का सत्यापन वर्तमान दिशानिर्देशों एवं नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(ड.) एक बार आवेदन के निरस्त हो जाने के बाद आवेदक को अग्रसारण (फार्वर्डिंग) अधिकारी के माध्यम से नया आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। आर एन आई कार्यालय में बिना अग्रसारण अधिकारी के सत्यापन के आवेदक द्वारा प्रस्तुत सीधे शीर्षक विकल्पों पर विचार नहीं किया जाता है।

(च) यदि शीर्षक का पंजीयन नहीं कराया गया है और लिखित रूप से उसके कारण का उल्लेख नहीं किया गया है तो प्रेस पंजीयक के पास सत्यापित शीर्षक को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है ।

(छ) आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करते समय बताए गये दिशानिर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें ताकि शीर्षक सत्यापन की प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब एवं निरस्त हो जाने से बचा जा सके।

(ज) वही या मिलते-जुलते की व्याख्या में आशंका होने की स्थिति में प्रेस पंजीयक का निर्णय अंतिम होगा।

(झ) पत्रिका के प्रकाशन का शीर्षक किसी एक व्यक्ति के नाम से सत्यापित नहीं किया जाएगा। पत्रिकाओं का पंजीयन केवल संगठन/ संस्थान/ सोसायटी के नाम से ही किया जाएगा। ऐसे मामले में ऐसे संगठन/ संस्थान/ सोसायटी/ कम्पनी आदि का नाम शीर्षक से पहले जोड़ना आवश्यक है, ताकि एक या एक जैसे विषय पर विभिन्न पत्रिकाओं के बीच उन्हें स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके।

(ट) यदि प्रकाशन की विषय-वस्तु समाचार और जन समाचार की व्याख्या वर्ग के अंतर्गत नहीं आती अथवा शीर्षक आवेदन के समय दी गई प्रकृति और सामग्री से मेल खाती नहीं है तो सत्यापित हो चुके शीर्षक के पंजीयन को निरस्त भी किया जा सकता है।

(ठ) यदि समाचार पत्र, प्रकाशन का प्रस्ताव सरकारी कार्यालय/ संगठन द्वारा किया जाता है तो कार्यालय के प्रधान द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा तथा शीर्षक का सत्यापन उसके नाम से ही किया जाएगा।

17. **डिस्क्लेमर** : प्रस्तावित समाचार पत्र/ आवधिक के लिए शीर्षक का सत्यापन उक्त समाचार पत्र के पंजीयन के उद्देश्य से प्रेस पंजीयक द्वारा समाचार पत्र एवं पुस्तक पंजीयन अधिनियम 1867 के अंतर्गत किया जाता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि शीर्षक के अनुमोदन को ट्रेड मार्क/ ब्रैंड/ कम्पनी के नाम के रूप में प्रयोग किया जाए। इस उद्देश्य के लिए आवेदक संबंधित प्राधिकारियों से संबंधित अधिनियमों जैसे ट्रेड मार्क ऐक्ट, कम्पनी

ऐक्ट से संपर्क किया जा सकता है। इस संदर्भ में उत्पन्न विवाद दो पक्षों के बीच उठा विवाद माना जाएगा तथा पंजीयक, भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय को किसी भी दशा में पार्टी नहीं बनाया जाएगा।